प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2017

विषय: बेल 412इपी हेलीकॉप्टर पर सिंगापुर में श्री रूपेश कुमार सक्सेना, हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को 412 Field Maintenance B1.3 प्रशिक्षण दिए जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3038/ना0उ0वि0/इजी0/एफ-2/2017, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 (बीटी-यू0पी0के0) पर श्री रूपेश कुमार सक्सेना, हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 28 अक्टूबर, 2017 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) हेलीकाप्टर निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग कराए जाने के लिए विदेश यात्रा की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में दी गई स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैं:-

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि में श्री रूपेश कुमार सक्सेना को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) श्री रूपेश कुमार सक्सेना, हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को भारत से सिंगापुर एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों मे भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) श्री रूपेश कुमार सक्सेना, हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) विदेश में किए गए अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता एवं होटल किराया उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं/फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी-1-427/दस-2017, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0-70/2017/1285(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35वी-। विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सम्बन्धित अभियन्तागण।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in